न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 70 / 2025(GCMS 2025/344)

(RTI No.)

छगनलाल छाबड़ा निवासी बी–18 आनन्द विहार, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर
मोबाईल नम्बर : 94145–04294

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी छगनलाल छाबड़ा स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.06.2025 से दस बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि छगनलाल छाबड़ा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.06.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दस बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. दिनांक 20.02.2025 को जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्रार्थी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन की प्रति (परिवाद प्राप्ति रसीद संख्या 93)
2. उपरोक्त आवेदन एडीएम सतर्कता का जांच हेतु भेजने की प्रति।
3. एडीएम सतर्कता द्वारा जांच कर भेजे गए जांच प्रतिवेदन की प्रति।
4. उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर आपके द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति।
5. की गई कार्यवाही से प्रार्थियों को सूचित करने की प्रति।
6. दिनांक 20.03.2025 को जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्रार्थी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन की प्रति (परिवाद प्राप्ति रसीद नं. 91)
7. उपरोक्त अभ्यावेदन जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी को भेजने की प्रति।
8. उपखण्ड अधिकारी सूरत[illegible] जांच प्रतिवेदन मय संलग्नक की प्रति।
9. उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर आपके द्वारा [illegible] के अभयावेदन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही
10. प्रार्थी को की गई कार्यवाही से सूचित करने की प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:46:28 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 70 / 2025
(GCMS No. 2025/344)

लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक निदेशक लोक सेवाऐं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ / आर.टी.आई. / 2025 / 1777 दिनांक 14.10.2025 से अवगत करवाया है कि बिन्दु संख्या 1 व 3 अति. जिला. कलक्टर सतर्कता, श्रीगंगानगर एवं बिन्दु संख्या 06 व 08 की सूचनाएं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से सम्बन्धित होने के कारण उन्होनें अपने पत्रांक एफ / आर.टी.आई. / 2025 / 992–993 दिनांक 09.06.2025 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत हस्तान्तरित की जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 02, 04, 05, 07, 09, 10 की सूचना के सम्बन्ध में अपने पत्रांक 1262 दिनांक 11.07.2025 से रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है तथा पत्र की प्रति अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को प्रेषित की है। सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1777 दिनांक 14.10.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

बिन्दु संख्या	**चाही गई सूचना**	**प्रत्युत्तर**
02	उपरोक्त आवेदन एडीएम सतर्कता का जांच हेतु भेजने की प्रति।	संलग्न है।
04	उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर आपके द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति।	इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
05	की गई कार्यवाही से प्रार्थियों को सूचित करने की प्रति।	इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
07	दिनांक 20.03.2025 को जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्रार्थी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन की प्रति (परिवाद प्राप्ति रसीद नं. 91)	संलग्न है।
09	उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर आपके द्वारा प्रार्थी के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही	इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
10	प्रार्थी को की गई कार्यवाही से सूचित करने की प्रति।	इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:46:28 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक सूकाआ / 2025 / 5053 दिनांक 14.10.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 70 / 2025
(GCMS No. 2025/344)

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संलग्न प्रार्थी छगनलाल छाबड़ा के अपील प्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रकार है:
>
> सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक:– लोक सेवा / जनसुनवाई / 2025 / 544 दिनांक 26.03.2025 जो इस कार्यालय में दिनांक 01.04.2025 को प्राप्त हुआ। उक्त पत्र की पालना में अधिशाषी अभियंता, नगरपालिका, सूरतगढ़ से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2303 दिनांक 08.04.2025 द्वारा पत्र प्रेषित कर रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ से पत्र क्रमांक / भूमि / 2025–26 / 85 दिनांक 16.04.2025 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट, इस कार्यालय मे दिनांक 16.04.2025 को प्राप्त हुई, जिसकी छयाप्रति संलग्न है।
>
> सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक :–सहा.निदेशक / दिनांक 09.06.2025 के संलग्नक प्रार्थी छगनलाल छाबड़ा, निवासी बी–18 आनन्द विहार, कॉलोनी सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर का सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 02.06.2025 इस कार्यालय में दिनांक 11.06.2025 को प्राप्त हुआ।
>
> अपीलार्थी छगनलाल छाबड़ा निवासी बी–18 आनन्द विहार कॉलोनी, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर को उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / सूचना का अधिकार / 2025 / 4181 दिनांक 18.06.2025 जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित कर दिया गया था। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
>
> अपीलार्थी द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के विरूद्ध उक्त अपील गलत रूप से प्रस्तुत की गई है। अतः अपील निरस्त करने की मेहरबानी फरमावे।। सूचनार्थ सादर प्रषित है।

सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर बिन्दु संख्या 01 व 03 के लिए अपीलार्थी का अपील अति. जिला कलक्टर, सतर्कता, श्रीगंगानगर को हस्तांतरित की थी, परन्तु उनके द्वारा बिन्दु संखय 01 व 03 के सम्बन्ध में कोई जवाब पेश नहीं किया है।

लोक सूचना अधिकारियों ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुँच हो अर्थात [illegible] में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और [illegible] में नहीं होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न [illegible] है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:46:28 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी सहायक निदेशक लोक सेवाएं कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** द्वारा बिन्दु संख्या 02, 04, 05, 07, 09, 10 एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा बिन्दु संख्या 06 व 08 के सम्बन्ध में अपीलार्थी को, जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं के देखते हुए** सहायक निदेशक, लोक सेवाएं कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि **बिन्दु संख्या 04, 05, 09, 10** से सम्बन्धित पत्रावली का, अपीलार्थी को अवलवोकन करवा देवें एवं पत्रावली में यदि अपीलार्थी कोई सूचना चाहे तो उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। **बिन्दु संख्या 06 व 08 हेतु अपीलार्थी सक्षम अधिकारी के पास वांछित सूचना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। बिन्दु संख्या 01 व 03 के सम्बन्ध** में अति. जिला कलक्टर, सतर्कता ने कोई जवाब पेश नहीं किया, इसलिए बिन्दु संख्या 01 व 03 के लिए प्रकरण अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **अति. जिला कलक्टर, सतर्कता, श्रीगंगानगर, उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ एवं सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर,** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:46:28 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर